ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2018; 4(10): 466-468
www.allresearchjournal.com
Received: 16-08-2018
Accepted: 20-09-2018

डॉ. सुषमा दयाल
इतिहास विभाग, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार, भारत

Correspondence
डॉ. सुषमा दयाल
इतिहास विभाग, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार, भारत

महिला सशक्तिकरण में गांधीवादी विचारों का विश्लेषण

डॉ. सुषमा दयाल

सारांश
इस अध्ययन के अंतर्गत अध्ययन क्षेत्र महिला सशक्तिकरण रहा है जिसका विश्लेषण गांधीवादी सोच अथवा गांधीवादी दृष्टिकोण के आधार पर किया गया है। दोहरे मापदंडों से प्रभावित महिलाएं एक तरफ तो प्राचीन काल में देवियों के रूप में पूजी जाती रही हैं तुम ही आधुनिक भारतीय समाज में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में समान नहीं समझा जाता है। अतः इस विषय के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर अध्ययन करना बेहद कारगर सिद्ध होगा।

कूट शब्द: महिला सशक्तिकरण, गांधीवादी, दृष्टिकोण के आधार

प्रस्तावना
महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य है - महिलाओं में आत्म सम्मान, आत्मनिर्भर आत्मविश्वास जागृत करना है। महिलाएं किसी भी सभ्य समाज का एक प्रमुख भाग है जिसके बिना विश्व कल्याण की कल्पना नहीं की जा सकती । विश्व की लगभग आधी आबादी के रूप में महिलाएं एक बहुत बड़ा वर्ग है जिन्हें भारत जैसे समृद्ध देश वाली राष्ट्र में बेहद उपेक्षित दृष्टि से देखा जाता रहा है। आधुनिक भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति का आंकलन करने पर यह ज्ञात होता है कि महिलाएं आज भी पूर्ण रूप से सशक्त नहीं हो पाई है। जिनके प्रमुख उत्तरदाई कारक महिलाओं का शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न, शिक्षा का अभाव तथा दिन प्रतिदिन उन पर होने वाली घटनाएं हैं। भारत में महिला सशक्तिकरण की काफी प्रयास किए जा रहे फिर भी महिलाएं भय तथा उपेक्षा के वातावरण में अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। गांधी द्वारा भारतीय महिलाओं की उन्नति तथा उत्थान पर बल देते हुए कई प्रयास किए गए ताकि महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके। एक समाज-सुधारक के रूप में, गाँधी ने स्त्री - उत्थान के लिए भरसक प्रयत्न किए। उन्होंने बार - बार यही स्पष्ट करे का प्रयत्न किया कि स्त्रियाँ किसी भी दृष्टि में पुरूषों से हीन नहीं है। और श्यह झूठी अफवाह प्राचीन रचनाओं द्वारा उड़ाई गई है जिसके लेखक भी पुरूष ही थे।[1]
गाँधी जी दहेज - प्रथा के खिलाफ थे। दहेज - प्रथा एक ऐसी सामाजिक बुराई है जिसने भारतीय - महिलाओं के जीवन के पददलित बना दिया। गाँधी इसे श्खरीद - बिक्रीश् का कारोबार मानते है। उनके अनुसार श्कोई भी युवक, जो दहेज को विवाह की शर्त रखता है, अपनी शिक्षा को कलंकित करता है, अपने देश को कलंकित करता है और नारी - जाति का अपमान करता है।

गाँधी जी ने अपने वक्तव्य में कहा यदि मेरे पास मेरी देख - रेख में कोई लड़की होती तो मैं उसे जीवन - भर कुंवारी रखना पसंद करता बजाय इसके कि उसे ऐसे व्यक्ति को सौंपता जो उसे अपनी पत्नी बनाने के एवज में एक पाई जाने की अपेक्षा रखता।

गाँधी स्त्री - पुरूष के आपसी संबंधों, समानता पर सूक्ष्म दृष्टि रखते है। गाँधी ने महिलाओं की राजनीतिक, सामाजिक स्वतंत्रता पर अपने विचार प्रकट किए है। गाँधी के अनुसार स्त्री और पुरूषों में कर्मों का विभाजन पुराने समय से चल रहा है। उनके अनुसार महिलाओं का काम है घर संभालना और पुरूषों का काम है कमाना। आज के समय स्त्रियाँ उनके इस विचार से सहमत नहीं होंगे। महिलाओं के अधिकारों के बारे में संवेदनशील होने के बावजूद गाँधी ने महिलाओं की समस्याओं को राजनीतिक मंच प्रदान नहीं किया। कोई संगठन नहीं बनाया। परन्तु गाँधी ने महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए जो प्रयास किए थे, उनका कभी महत्व कम नहीं हो सकता।[2]

अध्ययन उद्देश्य

इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य महिला सशक्तिकरण के संबंध में गांधी जी के विचारों का विश्लेषण करना है जिसके अंतर्गत महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक स्त्रियों के आधारों पर महिलाओं की वास्तविक स्थिति तथा उनके योगदान का विश्लेषण सम्मिलित है।

महिलाओं की स्थिति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं ने हर कदम पर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजी सत्ता से संघर्ष किया और आगे चलकर महात्मा गांधी के आह्वान पर हजारों की संख्या में अमीर गरीब शिक्षित अशिक्षित स्त्रियां देहलीज के बाहर निकल पड़ी। राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भागीदारी ही नहीं नेतृत्व क्षमता भी सिद्ध हुई। राष्ट्रीय आंदोलन में बीकाजी कामा एनी बेसेंट सरोजनी नायडू राजकुमारी अमृत कौर विजयलक्ष्मी पंडित दुर्गाबाई देशमुख कमलादेवी चट्टोपाध्याय तथा बाद की नीतियों में अरूणा आसफ अली सुचेता कृपलानी कैप्टन लक्ष्मी सहगल जैसी अनेक नीतियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वास्तव में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय समस्त उदारवादी नेता गण यह समझ चुके थे कि स्त्रियों की दशा को सुधार कर ही स्वतंत्रता की लड़ाई को जीता जा सकता है तथा एक मजबूत राष्ट्र की नियम रखी जा सकती है। गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलनों में हिस्सा लेने वाले अधिकांश महिलाएं वही थी जिनके पति आंदोलन में सक्रिय थे। राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली अधिकांश महिलाएं पति के अनुमति के पश्चात ही आंदोलन में प्रवेश कर सके इसलिए यह महज एक शुरुआत थी।स्वतंत्र भारत में महिलाओं को मतदान का अधिकार होना चाहिए अथवा नहीं यह गंभीर प्रश्न भी उठ खड़ा हुआ। सन 1924 में श्रीमती चमेली देवी चैरसिया ने अपने लेख में महिलाओं की राजनीतिक स्थिति पर गंभीर प्रश्न खड़े किए तथा उनके राजनैतिक अधिकारों की वकालत की उनके अनुसार, ष् मैं यहां देश की भविष्य पार्लियामेंट भारतीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि अभी एक प्रस्ताव के द्वारा यह घोषणा कर दें कि परंतु भारत में पुरुषों के सम्मानित भाइयों को भी अधिकार प्राप्त होंगे।ष् स्वतंत्रता के पश्चात संविधान निर्माण हेतु गठित समिति सभा में 15 महिलाएं भी सम्मिलित थी जिनका नाम अम्मू स्वामीनाथन, एन्नी मास्करेनी, बेगम एजाज रसूल, दक्षिणी वेलयुद्धन, दुर्गाबाई देशमुख हनसा मेहता पूर्णिमा बनर्जी रेणुका रॉय सरोजिनी नायडू विजया लक्ष्मी पंडित। भारतीय स्त्रियों के जीवन में स्वतंत्र भारत का संविधान मानव नवजीवन संदेश लेकर आया इनपुट महिलाओं ने भारत के संविधान के निर्माण में समृद्ध विचारों को व्यक्त अमूल्य योगदान दिया। भारत का संविधान सभी भारतीय महिलाओं को समान अधिकार अनुच्छेद 14 राज्य द्वारा कोई भेदभाव नहीं करने अनुच्छेद 15 (1), अवसर की समानता अनुच्छेद 16 समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 घ की गारंटी देता है।,[3]

विश्लेषणात्मक व्याख्या

स्त्रियों के अधिकारों की समीक्षा करते हुए गांधी जी कहते थे कि, स्त्रियों के अधिकारों के संबंध में, मैं किसी प्रकार का समझौता नहीं कर सकता। मेरी राय में उन पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए जो पुरुषों पर ना लगाया गया हो। पुत्रों और कन्याओं में किसी प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए। उनके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए।

महात्मा गांधी ने दहेज प्रथा तथा प्राचीन भारतीय जातीय व्यवस्थाओं का पुरजोर खंडन किया है और विधवा पुनर्विवाह को उचित ठहराया है। महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से महात्मा गांधी महिलाओं की शिक्षा को इसका प्रमुख आधार मानते थे। उनके अनुसार एक बेटी को पढ़ाना पूरे कुल को

पढ़ाने जैसा है। एक पढ़ी-लिखी मां अपनी संतान की शिक्षा का ध्यान रखेगी जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक सुधार जैसी व्यवस्थाओं में परिवर्तन होंगे। गांधी जी ने ऐसे समाज की कल्पना करते थे जिसके अंतर्गत महिलाओं तथा बालिकाओं को समान अवसर मिले, यदि महिलाओं अशिक्षित रहेंगी तो ऐसी स्थिति में देश की आर्थिक उन्नति नहीं हो सकेगी। यदि राष्ट्र उन्नति की कल्पनाओं को सफल बनाना है तो गांधी जी के सपनों को साकार करना होगा।

गांधीजी महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकारों के पक्षधर रहे हैं महिलाएं परिवार निर्माण में प्रमुख सदस्य के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करती हैं परंतु उनको पुरुषों के समान अवसर प्राप्त नहीं हो पाते हैं। क्योंकि पुरुष ही आर्थिक दृष्टि से परिवार को सशक्त बनाता है ना कि महिला।

गांधीजी के अनुसार हमारे समाज में यदि कोई सबसे अधिक हताश हुआ है तो वो महिलाएं है जिनके कारण हमारे समाज का अधरू पतन हुआ है। प्रकृति ने जो फर्क स्त्री और पुरुष में किया है उसके अलावा हम किसी फर्क को नहीं जानते हैं।) [5]

गांधीजी के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो लड़के-लड़कियों को स्वयं के प्रति अधिक उत्तरदायी बना सके और एक-दूसरे के प्रति अधिक सम्मान की भावना पैदा कर सके। महिलाओं के लिए ऐसा कोई कारण नहीं है कि वे अपने को पुरुषों का गुलाम अथवा पुरुषों से घटिया समझें, उनकी अलग पहचान नहीं है बल्कि एक ही सत्ता है। अतः महिलाओं को सलाह है कि वे सभी अवांछित और अनुचित दबावों के खिलाफ विद्रोह करें। इस तरह के विद्रोह से कोई क्षति होने की आशा नहीं है। इससे तर्कसंगत प्रतिरोध होगा और पवित्रता आयेगी।

गांधीजी ने महिलाओं की शिक्षा को पर्याप्त महत्त्व दिया, किन्तु वे जानते थे कि अकेले शिक्षा से ही राष्ट्र निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सकते। वे सिर्फ महिलाओं की ही नहीं, पुरुषों की भी मुक्ति के लिए समुचित कार्यवाही के पक्षधर थे। शिक्षा के बारे में उनके विचार अनेक समकालीनों से भिन्न थे और शिक्षा उनके ग्राम पुर्ननिर्माण तथा उसके माध्यम से राष्ट्र पुर्ननिर्माण का मात्र एक हिस्सा, एक प्रमुख घटना थी। उन्होंने एक बार कहा था कि महिलाओं की शिक्षा मात्र ही दोषी नहीं है, हमारी समूची शिक्षा-प्रणाली विगलित है। वे शहरों और कस्बों में रहने वालों की आलोचना करते थे जो जनसंख्या का कुल १०-१५ प्रतिशत हैं, और प्रत्येक चीज में लिंग सम्बन्धी भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। यंग इन्डिया में २३ मई, १९२९ को लिखे गांधीजी के एक लेख से पता चलता है कि उन्हें निरक्षरता, स्कूल सुविधाओं का अभाव, भू-स्वामियों के शोषण का शिकार होने और ऐसी ही अन्य सामाजिक आर्थिक अक्षमताओं की कितनी जानकारी थी, जिनका सामना ग्रामीण महिलाओं को करना पड़ता है। उन्होंने लिखा था 'जरूरी यह है कि शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त किया जाये और उसे व्यापक जनसमुदाय को ध्यान में रखकर तय किया जाये। उनके अनुसार शिक्षा प्रणाली में बच्चों के साथ प्रौढ़ शिक्षा पर ही बल नहीं दिया जा सके।"[4]

गांधी जी के मानस-पटल में यह बात स्पष्ट थी कि "महिला सशक्तिकरण केवल नैतिक अनिवार्यता नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक परम्पराओं को सुदृढ़ करने तथा अन्याय व उत्पीडन के खिलाफ संघर्ष करने की पूर्व शर्त भी है। गांधीजी ने जिस बात का स्वप्न देखा था, वह अधिकारों, समान अवसर और समान भागीदारी वाली अधिक न्यायोचित और मानवीय दुनिया की दिशा में की जा रही है यात्रा का एक कदम भर है।" क्योंकि जब किसी महिला का विकास होता है तो उसके परिवार-समाज का भी विकास होता है क्योंकि परिवार-समाज के विकास की दिशा पर ही प्रदेश, देश एवं विदेशों को लाभ मिलना संभव है। इसीलिए जब तक महिलाएँ एकजुट नहीं होंगी तब तक मानवता के इस बड़े हिस्से के पक्ष में महात्मा गाँधी के संघर्ष को अंजाम तक नहीं पहुँचाया जा सकता है। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसके लिए पूरी दुनिया में जोरदार अभियान चलाने की जरूरत है क्योंकि विश्व का एक बड़ा हिस्सा आज भी शिक्षा के अधिकार से वंचित है। शिक्षा के विषय पर गांधी के विचार पूर्णतः स्पष्ट थे। गांधी कहते हैं कि "स्त्रियों की विशेष शिक्षा का रूप क्या हो और वह कब से आरम्भ होनी चाहिए, इस विषय में यद्यपि मैंने सोचा और लिखा है, पर अपने विचारों को निश्चयात्मक नहीं बना सका। इतनी तो पक्की राय है कि जितनी सुविधा पुरुष को है, उतनी ही स्त्री को भी मिलनी चाहिए और जहाँ विशेष सुविधा की आवश्यकता हो, वहाँ सुविधा मिलनी चाहिए।"

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन का विश्लेषण करने के पश्चात यह कहा जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयास पर्याप्त सफल नहीं हो पाए हैं अतः आज भी महिलाओं की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है।

महात्मा गांधी के महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए गए कार्यों के आधार पर से कहा जा सकता है कि ब्रिटिश शासन काल के दौरान ही भारत में महिला सशक्तिकरण को सफल बनाने की दिशा में कार्य शुरू किए जा चुके हैं। भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज होने के कारण यहां व्याप्त प्राचीन रूढ़ीवादी परंपराओं को समाप्त करना अत्यधिक कठिन प्रतीत होता है जिसके फलस्वरूप महिलाओं की निम्न स्थिति इस बात की ओर संकेत देती है कि भारतीय संस्कृति पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ किए जाने की दिशा में कार्य किए जाने की आवश्यकता है। भारत सरकार द्वारा महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने की दिशा में कई कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं जिनके प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है ताकि भारतीय समाज महिलाओं को भी बराबरी का दर्जा दिया जा सके।

संदर्भ सूची

1. मोहनदास करमचंद गांधी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, नवजीवन प्रकाशन, अहमदाबाद
2. शर्मा, रमा.एवं मिश्रा, एम.के. (2010) महिला विकास, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
3. गांधी: मेरे सपनों का भारत 1960 नवजीवन मुद्रणालय अहमदाबाद
4. यंग इंडिया, 17.10.1929
5. गांधी, हरिजन सेवक, 21.1.1947